सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 82/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–14.06.2023

GCMS ID–2023/120

उनवान

1. रामकुंवार आ0 बल्देव जाति मीणा निवासी फालेण्डा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. खाना आ0 भागोता जाति मीणा निवासी फालेण्डा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नाथू आ0 मल्लाराम जाति मीणा निवासी फालेण्डा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :– श्री महेश नामा 1 व 2

अप्रार्थी संख्या :–3 परोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 27.03.2025

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि खाता संख्या 195 खसरा संख्या 294/812 रकबा 0.7365 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फालेण्डा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के अगल–बगल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमिया स्थित है, अप्रार्थीगण कई बार सीमा सम्बन्धी विवाद करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्र करते है, और प्रार्थीगण की भमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है, जबकि प्रार्थी अपने खाते में दर्ज भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा को पर कर जबरन प्रार्थी की भूमियो को अपनी भूमि बताकर अतिक्रमण करना चाहते है। और आये दिन बिना कारण प्रार्थी की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास करते है तथा दिनांक 20.04.2023 को दिन के 1 बजे करीबन अप्रार्थीगण व उनकी औरते एकराय होकर अपने हाथों में लकडिया लेकर प्रार्थी की भूमि पर आ गये और जबरन व दादागिरी के बल पर प्रार्थी की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया प्रार्थी द्वारा मना करने पर प्रार्थी के साथ गाली गलोच की व जान से मारने पर आमादा हुये तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमि पर कब्जा करेंगे और तुम्हारी सीमाओं की मेडो को तोडकर हमारी भूमि में मिलायेगे और मुझे उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करने देंगे। यही प्रार्थना पत्र का कारण है, जो निरन्तर चल रहा है। प्रार्थी के पास सीमा सम्बन्धी विवादों के स्पष्ट समाधान हेतु पत्थरगढी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम फालेण्डा तहसील हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

की पत्थरगढी करवाये। प्रार्थी पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 195 खसरा संख्या 294/812 रकबा 0.7365 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फालेण्डा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 02 बावजूद तामिलों के पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने हेतु जबाव बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 पेरोकार सरकार की ओर से राशि जमा करवाने उपरान्त पत्थरगढी आदेश किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम फालेण्डा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 195 के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 195 के खसरा नं. 294/812 रकबा 0.7365 हैक्टेयर जो कि प्रार्थी रामकुवार पुत्र बल्देव जाति मीना वाके ग्राम फालेण्डा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446